131

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14336/1035 दिनांकः– 22.03.2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

DS(R)

-2 APR 2013

महाशय,

नगर पंचायत बख्तियारपुर के वर्ष 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 443/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

S.O.-9

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
22/03/13
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

1780/3
9/4/13

12/4

54
17/4/13

\130

नगर पंचायत बख्तियारपुर
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-443/12-13
अवधि 2011-2012

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत बख्तियारपुर के वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, सामाजिक प्रक्षेत्र- 1 सह- स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 01-01-2012 से 06-10-2012 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

वर्ष 2011-2012 की अवधि के दौरान नगर पंचायत का प्रशासन निम्नवत था :-

क्रं. सं.	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
1.	श्रीमति फरीदा बानो	01.04.2011 से 31.03.2012
	उपाध्यक्ष	
1.	श्रीमति सरिता कुमारी	01.04.2011 से 31.03.2012
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1.	श्री ललित मोहन प्रसाद	01.04.2011 से 31.03.2012

3. लेखा परीक्षा की परिसीमा

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जाँच किये गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- I में तथा लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- II में दी गयी है।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में लेखा की आंतरिक जाँच का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगर पालिका नियमावली 1928 के नियम 20, 30, 66 एवं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियम 30, 37 एवं 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जाँच के कुछ ऐसे उपबंध है, जिनसे नगर पंचायत के लेखा संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त जाँच का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, जिनसे अनेक त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ उजागर हुई जिनका उल्लेख आगे कंडिकावार किया गया है।

129

5. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत द्वारा पूर्ववत्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन की सं0	वर्ष	लम्बित कंडिका की संख्या	विलोपन हेतु सुझायी गयी कंडिकाओं की संख्या
658/05-06	--	20	07
583/09-10	---	27	05
617/11-12	---	36	15

नगर पंचायत के प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के सभी कंडिकाओ का अनुपालन तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

6. महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियॉं

01	11	नही जमा राशि अंकेक्षण के दौरान जमा 02.24 लाख
02	15	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सम्बन्धित निधि में जमा नहीं (2.19 लाख)
03	16	बकाया गोबाइल टावर शुल्क (₹8.54 लाख)
04	23	श्रम सेस की कटौती नही (₹0.61 लाख)
05	25	दैनिक मजदूर पर अनियमित भुगतान (10.08 लाख)

7. वित्तिय अधिदृश्य

नगर पंचायत बख्तियारपुर में लेखापाल रोकड़वही का संधारण नहीं किया गया था। वर्ष 2011-2012 में बैंक खातावार पॉंच रोकड़वही का संधारण किया गया था, जिसके अनुसार आय.व्यय का विवरण निम्न प्रकार था

1	प्रारम्भिक अवशेष	--	8619661.06
2	प्राप्ति	--	13371258.00
3	कुल योग (1+2)	--	21990919.06
4	व्यय	--	13308599.50
5	अंतशेष	--	8682319.56

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- III पर)

बैंक खाता का अन्त शेष

बैंक का नाम	खाता सं.	अवशेष
केनरा बैंक, बख्तियारपुर	02806101028600	1374726.00
बैंक ऑफ इंडिया, बख्तियारपुर	6289378028599	3792464.00
भारतीय स्टेट बैंक, बख्तियारपुर	11398457219	437332.00
देना बैंक, बख्तियारपुर	11569	2677125.00
बैंक ऑफ इंडिया, बख्तियारपुर	4469101100001667	947045.00
		9228692.00

बैंक खाता का शेष एवं रोकड़वही का शेष में 546372.50 का अन्तर पाया गया, जिसका समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

8. सरकारी अनुदान की स्थिति

नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नही किया गया था, जिसके कारण पूर्व का शेष अनुदान, अनुदान के विरूद्ध व्यय एवं अनुदानवार अवशेष राशि ज्ञात नही हो सका। अंकेक्षण में **P/L** खाता का प्राप्ति एवं व्यय/स्थानांतरण सम्बंधित पंजी प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2011-2012 के दौरान निम्न राशि प्राप्त हुआ था।

क्रं सं	पत्र सं.	दिनांक	राशि	उद्देश्य
1	न.वि.एवं आ.वि.-21	23.08.2011	1300000/-	13वाँ वित्त आयोग
2	------वही------ -24	----वही----	200000/-	------वही-----
3	------वही------ -58	13.03.2012	1530000/-	------वही-----

127

4	------वही------ -23	25.11.2011	16500000/-	शहरी पेय जलापूर्ति
5	------वही------ -60	19.03.2012	3506035/-	------वही-----
6	------वही------ -60	----वही----	2559265/-	------वही-----
7	------वही------ -47	25.01.2012	78000/-	पार्षद भत्ता
8	------वही------ -61	19.03.2012	2000000/-	------वही-----
9	------वही------ -45	25.01.2012	8301000/-	------वही-----
			35974300.00	

अंकेक्षण टिप्पणी

1. प्राप्त अनुदान का उद्येश्य अस्पष्ट

   उक्त पंजी में प्राप्ति में दिखाए गये अनुदान की राशि में किस उद्येश्य से अनुदान प्राप्त हुआ था इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी।

2. अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जिस उद्येश्य हेतु अनुदान प्राप्ति हुआ था उसी उद्येश्य हेतु व्यय किया गया था एवं कितनी राशि शेष थी।

   अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुदान पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

9. बजट की स्थिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार करने का प्रावधान है इसके अनुसार आगामी वर्ष के 15 मार्च तक नगर पंचायत द्वारा तैयार किये गए बजट को सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा के उपरांत सरकार को भेजा जाना होता है, जो अनुमोदन के उपरांत 31 मार्च तक संबंधित नगर पंचायत को वापस करेगी।

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 का बजट अंकेक्षण में नहीं उपलब्ध कराया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2011-2012 का बजट अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु दिखाया जाय एवं उपरोक्त प्रावधान के तहत ससमय बजट तैयार किया जाय।

10. वित्तीय विवरण एवं तुलन-पत्र तैयार नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 एवं 89 के अनुसार प्रत्येक शहरी निकाय को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 4 माह के भीतर वित्तीय विवरण व तुलन-पत्र तैयार कर लेना है लेकिन नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 में इसे तैयार नहीं किया गया था।

नगर पंचायत के प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रावधान के तहत वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र तैयार किया जाय जिससे वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सुविधा हो।

11. अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि –₹2.24 लाख

(i) विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा मकान कर के रसीदों से किये गये वसूली की राशि 198059.00 नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया था, जिसे अंकेक्षण के दौरान जमा करा दिया गया था।

क्र.	कर संग्राहक (सर्वश्री)	बकाया	अंकेक्षण के दौरान जमा
1.	पप्पु कुमार	57411.00	57411.00
2.	बबलु कुमार	73613.00	73613.00
3.	डबलु कुमार	11336.00	11336.00
4.	संजीव कुमार	6790.00	6790.00
5.	प्रदीप कुमार	48909.00	48909.00
	योग	198059.00	198059.00

(ii) श्री पप्पु कुमार, कर दारोगा द्वारा विविध रसीद से वसूली गयी राशि 26400-00 नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया था, जिसे अंकेक्षण के दौरान जमा किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV पर संदर्भित)

25)

12. मकान कर का मांग व वसूली पंजी असंधारित

नगर पंचायत द्वारा मकान कर का मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण नगर पंचायत का पूर्व का मांग, वर्तमान मांग, पूर्व का वसूली, वर्तमान का वास्तविक वसूली एवं शेष का आकलन नहीं किया जा सका।

नगर पंचायत के द्वारा बताया गया कि कर्मियों के अभाव में मांग व वसूली पंजी का संधारण नही किया गया था। उक्त पंजी का संधारण कर दारोगा द्वारा किया जाता है जबकि नगर पंचायत बख्तियारपुर में कर दारोगा का पद सृजित था एवं उक्त पद हेतु नियमित कर्मी की नियुक्ति भी कर ली गई थी। अत: उक्त पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

13. निरस्त

14. महत्वपूर्ण करों का अधिरोपन नहीं

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में सरकार द्वारा नगर निकायों के राजस्व के कई स्रोतों से करों की वसूली का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत द्वारा कई महत्वपूर्ण करों का न तो अधिरोपन ही किया गया था और नहीं कोई वसूली की गई थी। इन करों का विवरण निम्न प्रकार है-

(क) आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय कर

शहरी स्थानीय निकायों में किये जाने वाले व्यवसाय जैसे आटा चक्की, पेट्रोल पम्प, पटाखा बेचने का दुकान आदि से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वसूली किये जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा उक्त करों का अधिरोपन नहीं किया गया था। अत: सुझाव दिया जाता है कि उक्त करों को लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

(ख)विज्ञापन कर

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 में विज्ञापन कर लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक विज्ञापन कर लागू नही किया गया था। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि कर्मियों के अभाव में उक्त कर को नहीं लगाया गया था।

अत: सुझाव दिया जाता है कि उक्त कर के अधिरोपन हेतु कारगर कदम उठाया जाय ताकि नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि हो सके।

15. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित निधि में जमा नहीं (₹2.19 लाख)

नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा मकान कर की वसूली जिस प्रपत्र में किया गया था उसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर का वर्गीकरण नहीं किया गया था जिसके कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की वास्तविक वसूली ज्ञात नहीं की जा सकी। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2011-2012 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की वसूली किया गया था जो निम्नलिखित है।

वर्ष	शिक्षा उप कर की वसूली	स्वास्थ्य उप कर की वसूली	कुल वसूली
2011-2012	121539.00	121539.00	243078.00

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य कर नियमावली 1972 के प्रावधान के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की वसूली गयी राशि का 10 प्रतिशत राशि वसूली के एवज में कटौती कर शेष राशि सरकार के संबंधित शीर्ष जमा करना था।

नगर पंचायत बख्तियारपुर में कुल ₹243078.00 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर में वसूली किया गया था, जिसमें से 10 प्रतिशत यानि 24308-00 वसूली चार्ज की कटौती कर ली गई, परन्तु शेष राशि 218770-00 (243078-24308) सरकारी निधि में जमा नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि स्वयं के स्रोतों में बढ़ोतरी होने के उपरान्त उक्त राशि संबंधित निधि में जमा करा दिया जाएगा।

अतः ₹218770.00 संबंधित सरकारी निधि में जमा करने हेतु कारगर कदम उठाया जाय।

16. मोबाइल टावरों से निबंधन व नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं किया जाना ₹8.54 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाइल टावरों से निबंधन शुल्क के रूप में प्रति टावर 30000.00 एवं प्रतिवर्ष नवीकरण शुल्क ₹8000.00 की दर से नगर पंचायत निधि में जमा करना था। परन्तु नगर पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाइल टावरों से अंकेक्षण अवधि तक कोई वसूली नहीं किया गया था।

नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 13 टावर अधिष्ठापित थे, जिनपर वर्ष 2011-12 तक कुल ₹854000.00 (परिशिष्ट-V) बकाया था। उक्त राशि के वसूली हेतु यथाशीध्र आवश्यक कार्रवाई की जाये।

123

17. (i) सैरातों की बन्दोबस्ती में अनियमिततायें:-₹1.27 लाख

सैरातों की बन्दोबस्ती से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2011-2012 से पूर्व का मांग, वसूली व 31.03.12 को बकाया ज्ञात नहीं हो सका। अंकेक्षण में वित्तीय वर्ष 2011-2012 में सैरातों की वसूली की संचिका प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितता पाई गई–

(क) बस टेम्पू स्टैण्ड डाकबंगला रोड

संचिका के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिये उक्त सैरात की बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यूनतम राशि तय किया गया था।

I.	वर्ष 2008-2009 की बन्दोबस्ती की राशि	204500.00
II.	वर्ष 2009-2010 की बन्दोबस्ती की राशि	224950.00
III.	वर्ष 2010-2011 की बन्दोबस्ती की राशि	653100.00
	योग	1082550.00

औसत राशि	1082550/3	=	360850.00
10% की वृद्धि		=	36085.00
न्यूनतम सुनिश्चित राशि		=	396935.00

संचिका के अनुसार बन्दोबस्ती हेतु तीन तिथियाँ निर्धारित की गई थी (24.03.2011, 26.03.2011 एवं 28.03.2011), परन्तु उक्त तिथियों में एक भी डाकवक्ता उपस्थित नहीं हो पाये, पुनः 30.03.2011 को श्री उमेश प्रसाद आदेशपाल नगर पंचायत, बख्तियारपुर को विभागीय वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया एवं लेखापाल को आदेश जारी किया गया कि वे वसूली हेतु रसीद का मुद्रण करायें। वर्ष 2011-2012 में रोकड़बही के अनुसार उक्त उद्येश्य हेतु रसीदों का मुद्रण का विपत्र नहीं पाया गया। जबकि उक्त बस स्टैण्ड की वसूली पंजी के अनुसार 01.04.2011 से 31.03.2012 तक वसूली पाया गया। पंजी के अनुसार किये गये वसूली एवं नगर पंचायत निधि में जमा का विवरण निम्न प्रकार था:-

वसूली की अवधि	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	नही व कम जमा राशि
01.04.2011 से 05.04.2011	5574.00	5574.00	-
06.04.2011 से 27.04.2011	22756.00	22576.00	-
28.04.2011 से 03.05.2011	6281.00	6281.00	-
04.05.2011 से 05.07.2011	64092.00	64092.00	-
06.07.2011 से 18.09.2011	72830.00	72830.00	-
19.09.2011 से 25.12.2011	98306.00	98306.00	-
26.12.2011 से 31.03.2011	97498.00	-	97498.00
योग	367337.00	269839.00	97498.00

नहीं जमा राशि 97498.00 संबंधित वसूली कर्ता श्री उमेश प्रसाद, आदेशपाल से अंकेक्षण की प्रेरणा से वसूली कर दिनांक 06.10.2012 को नगर पंचायत की निधि में जमा कर दिया गया।

(ख) बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती नहीं होने से नगरपालिका को हानि (0.30 लाख)

संचिका के अनुसार वर्ष 2011-2012 के बन्दोबस्ती हेतु न्यूनतम सुनिश्चित राशि 396935.00 निर्धारित किया गया था बन्दोबस्ती हेतु मार्च 2011 में तीन तिथि 24, 26 एवं 28 मार्च निर्धारित किया गया था परन्तु एक भी डाक वक्ता द्वारा भाग नहीं लेने के कारण विभागीय वसूली हेतु आदेश जारी किया गया था, जबकि निकाय हित में मार्च 2011 के बाद भी बन्दोबस्ती हेतु कदम उठाने की आवश्यकता थी। अत:

121

बन्दोबस्ती नहीं होने से नगर पंचायत को 29598.00 (396935-367337) की हानि हुई जो संबंधित जिम्मेवार व्यक्तिया से वसूलीनीय है।

(ग)विभागीय वसूली हेतु रसीद का मुद्रण एवं रसीदों का भण्डार पंजी अप्रस्तुत

विभागीय वसूली में प्रयुक्त किये गए रसीदों का मुद्रण संबंधित संचिका, रसीदों का भण्डार पंजी एवं निर्गत पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही रोकड़बही में मुद्रण का विपत्र ही पाया गया जिससे वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। अत: मुद्रित रसीदों से नियमानुकूल वसूली एवं जमा को विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।

17. (ii) सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किया जाना-₹0.03 लाख

सैरातों की बन्दोबस्ती की संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था, जबकि बिहार सरकार के पत्रांक 1920/RC/CS दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव-सह-आई0 जी0 पंजीयन बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के आलोक में सैरातों की बन्दोबस्ती का एकरारनामा बन्दोबस्ती राशि का 3% राशि के स्टाम्प पेपर पर किया जाना था।

इस प्रकार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-2012 में 3150.00 की राजस्व हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

सैरात का नाम	बन्दोबस्ती धारी का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	3प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की राशि
टेम्पू स्टैण्ड थाना रोड	श्री राजनारायण	105000.00	3150.00

₹ 3150.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय एवं इसका जमा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18. स्वामित्व कर की कटौती की गयी राशि जमा नहीं किया जाना-₹0.30 लाख

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 में विभिन्न योजनाओं से कटौती किया गया स्वामित्व कर की राशि ₹29247.00 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। अत: नगर पंचायत के

प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि स्वामित्व कर की राशि 29247.00 संबंधित सरकारी निधि में जमा कर जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VI से संदर्भित)

19. भविष्य निधि कटौती की राशि जमा नहीं किया जाना-₹0.74 लाख

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अभिश्रव के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के वेतन से माहवार कटौती की गई भविष्य निधि की राशि एवं नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान की राशि 74260.00 संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते में जमा नही किया गया था और न ही उक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों का संधारण ही किया गया था।

अत: संबंधित कर्मचारियों का भविष्य निधि का खाता का संधारण कराया जाय एवं की गई कटौती की राशि एवं अंशदान की राशि जमा कर जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VII पर संदर्भित)

20. निरस्त

21. कार्यपालक सहायक का संविदा पर नियुक्ति में अनियमितताएँ

नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा पत्रांक 344 दिनांक 09.12.2011 के मांग पत्र पर जिलाधिकारी पटना के ज्ञापांक 4013/ स्था0, दिनांक 30.12.2011 के द्वारा श्री धीरज कुमार को कार्यपालक सहायक के पद पर दिनांक 04.01.2012 को नियुक्त किया गया था।

जिलाधिकारी के उक्त पत्र के आलोकं में निम्नलिखित सेवा शर्ते निर्धारित थी:-

1.कार्यपालक सहायक को कार्य करने हेतु अपने साथ स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटर उपकरण एवं प्रिंटर आदि रखना होगा।

2. संविदा में उपरोक्त प्रकार से नियोजित अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को उपरोक्त शर्तो को मानने संबंधित एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

अंकेक्षण टिप्पणी

119)

(i) संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि नियोजित सहायक द्वारा स्वयं का कम्प्यूटर प्रिंटर इत्यादि उपकरण कार्य स्थल पर नहीं रखा गया था फिर भी नगर पंचायत द्वारा उसका योगदान स्वीकृत कर लिया गया जो सरकारी आदेश का उल्लंघन था।

(ii) जिलाधिकारी के पत्र में स्पष्ट निर्देश था कि नियोजन में सेवा शर्तें को मानने सम्बन्धित एकरारनामा स्वीकार करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी की नियुक्ति करनी थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक एकरारनामा का प्रति लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(iii) नगर पंचायत के बोर्ड द्वारा कुल 9 पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था जिसकी स्वीकृति लेखा परीक्षा समाप्ति तक अप्राप्त थी। लेकिन 9 पदों के विरूद्ध 9 कर्मियों को नियमित कर दिया गया था। किस परिस्थिति में सृजित पद के विरोध कार्यपालक सहायक का मांग किया गया था यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था।

अत: उपरोक्त टिप्पणियों पर बिन्दुवार स्पष्टीकरण से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

22. अधिक मानदेय भुगतान(₹806.00)

नगर पंचायत का पत्रांक 175 दिनांक 06.07.2011 के द्वारा श्री सुरेश सहाय पिता स्व0 श्री दुर्गालाल द्वारा स्व0 रामचन्द प्रसाद, डी0 ब्लॉक, न्यू एरिया, जी0 डी0 इलेक्ट्रीक के सामने, कांग्रेस मैदान, नाला रोड, पटना को नगर पंचायत बख्तियारपुर के निवार्ची मंडल द्वारा दिनांक 06.07.2011 को पारित प्रस्ताव संख्या अन्याय 3(च) के आलोक मे लेखा कार्य करने हेतु सविदा के आधार पर 5000 प्रति माह नियत मानदेय पर अस्थायी रूप से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निरस्त
2. मानदेय का भुगतान अधिक

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 06.07.2011 से श्री सहाय को नियुक्त किया गया था जबकि रोकड़बही व अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि माह जुलाई 2011 का मानदेय पूर्ण माह का चेक संख्या 122994 दिनांक 10.09.2011 के द्वारा किया गया था। जबकि माह जुलाई हेतु 06.07.2011 से 31.07.2011 तक का निम्न भुगतान ही होना था

$\frac{5000 \times 26}{31}$ ₹4194/-

118

अतः ₹806.00 (5000-4194) का भुगतान अधिक था, जिसकी वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. <u>श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाना-₹0.61 लाख</u>

श्रम संसाधन विभग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यो पर किए गए व्यय की राशि से एक प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त ही अभिकर्ता/ संवेदक को भुगतान किया जाना था परन्तु नगर पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2011-2012 में कटौती नही किया गया था। इस प्रकार श्रम सेस में कुल 61134.00 की कटौती की जानी थी, जो नहीं की गई थी। जिससे श्रम सेस की राशि कल्याण बोर्ड को नही भेजी जा सकी।

नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि सरकारी पत्र के अभाव में श्रम सेस की कटौती नहीं कि गयी थी। अतः नहीं कटौती की गई राशि ₹61134.00 की वसूली हेतु कारगर कदम उठाया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VIII से संदर्भित)

24(i)<u>जे0 सी0 बी0 क्रय संबंधित संचिका उपस्थापित नहीं (₹14.30 लाख)</u>

P/L खाता के पंजी से चेक संख्या BB026607 दिनांक 23.06.2011 से ₹1430000.00 में पाटलिपुत्रा. पटना को भुगतान किया गया था, परन्तु संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था। अतः संबंधित संचिका जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय। तब तक भुगतान किया गया राशि 1430000.00 अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(ii) <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग को राशि हस्तान्तरण की अद्यतन स्थिति अनुपलब्ध (110.00 लाख)</u>

चेक संख्या BB026619 दिनांक 23.01.2012 के द्वारा कुल ₹11000000.00 कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्वी अंचल पटना, बिहार को भुगतान किया गया था, परन्तु किस हेतु राशि का भुगतान किया गया था एवं भुगतान की संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नही किया गया था।

अतः कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र यदि प्राप्त हुआ हो तो अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध कराया जाय।

25. <u>दैनिक मजदूरी पर व्यय ₹10.08 लाख</u>

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्र स0 4 न0 अ0 /01/99/1986 न0 वि0 वि0 25.06.2001 एवं इसके पश्चात समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को दैनिक मजदूरी पर नही रखा जाय।

117

नगर पंचायत बख्तियारपुर के रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-2012 में कुल 1007753.00 दैनिक मजदूरों पर व्यय किया गया था, जो सरकारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन था। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत की बढ़ती आबादी एवं नगर पंचायत में कर्मियों के अभाव रहने के कारण दैनिक मजदूरी पर कर्मी को रखा गया था।

अतः दैनिक मजदूरों पर किए गए व्यय की धटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराए जाने तक व्यय की राशि ₹1007753.00 अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IX पर संदर्भित)

26. अभिश्रव अप्रस्तुत ₹1.11 लाख

रोकड़बही एवं अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि व्यय की गई राशि ₹111183.00 से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अप्रस्तुत अभिश्रवों से संबंधित विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 संख्या	चेक संख्या तिथि	राशि	उद्येश्य
01	535721 15.02.2012	86418/-	विविध व्यय
02	535739 13.03.2012	24765/-	कम्प्यूटर सामाग्री
	योग	111183/-	

अतः उक्त व्यय की राशि से संबंधित अभिश्रव एवं संचिका जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय तब तक उक्त राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

27. असमायोजित अग्रिम –₹0.23 लाख

नगर पंचायत बख्तियारपुर द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके चलते पूर्व का असमायोजित अग्रिम का आकलन नहीं किया जा सका। रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-2012 में कुल 23000/- अग्रिम दिया गया था जो लेखा परीक्षा समाप्ति तक असमायोजित था –

क्रमांक	चेक संख्या तिथि	राशि	विवरण
01	192947 30.06.2011	5000/-	सूचना पट्ट लगाने हेतु श्री विनय कुमार सिंह, वरीय सहायक को भुगतान
02	437677 21.09.2011	5000/-	उर्स मेला के लिए विनय कुमार सिंह, वरीय सहायक को भुगतान
03	535702 25.01.2012	3000/-	गणतंत्र दिवस हेतु विनय कुमार सिंह, वरीय सहायक को भुगतान
04	535747 24.03.2012	10000/-	मारूति भान के पार्ट का क्रय
	योग	23000/-	

लम्बित अग्रिम की राशि 23000/- के सामायोजन/वसूली हेतु कारगर कदम उठाया जाय एवं की गई कार्रवाई से अगले अंकेक्षण में अवगत कराया जाय।

28. कार्यपालक से वार्तालाप

अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 06-10-2012 को विचार-विमर्श किया गया।

29. अंकेक्षण का परिणाम

क्रमांक	विवरण	राशि
01	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	321957.00
02	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	969750.00
03	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी गयी राशि	13548936.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– X पर संदर्भित)

115

30. <u>सामान्य अभियुक्ति</u>

नगर पंचायत द्वारा लेखाओं का संधारण असंतोषजनक था। महत्वपूर्ण अभिलेख यथा लेखापाल रोकड़बही, रोकड़पाल रोकड़बही, अनुदान पंजी अग्रिम पंजी, करों की मांग व वसूली पंजी, सम्पत्ति पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। रोकड़बही की जगह बैंक खाता बार चैक बुक का संधारण किया गया था, P/L खाता का संधारण भी नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण करों का अधिरोपन नहीं किया गया था। स्वयं के स्रोतों में वृद्धि के लिए मकान कर की वसूली हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी।

-हस्ता०-
(अखिलेश पासवान)
(पर्यवेक्षक)
-अनुमोदित-
उपमहालेखाकार(एरा० एस०.I)
-राह-
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

संо एलо एо/एसо एसо.1/ शо स्थाо निо/ दिनांक:–

(114)

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/ का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

—हस्ता०—
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

संо एलо एо/एसо एसо.1/ शо स्थाо निо/14336/1035 दिनांक: 22.03.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, पटना

22/03/13
व० लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर.I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I

अंकेक्षण में प्रस्तुत व नमूना जाँच किये गये पंजी एवं अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं. 3 से संबंधित)

क्रमांक	पंजी व अभिलेखों का विवरण
01.	बैंक खाता वार कैश बुक।
02.	बैंक पासबुक।
03.	चेक पंजी।
04.	अभिश्रव (आंशिक)।
05.	मकान कर का रसीद।
06.	विविध कर का रसीद।
07.	रसीदों का भण्डार पंजी।
08.	वेतन पंजी (आंशिक)।
09.	[illegible] की संचिका।
10.	भुगतान की संचिका (आंशिक)।
11.	मोबाइल टावर की संचिका।

परिशिष्ट - II

47/112

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं व नमूना जाँच नहीं किये गये अभिलेखों का सूचि

~~(प्रतिवेदन की कंडिका 1 - 3 से संबंधित)~~

क्रमांक	पंजी व अभिलेखों का विवरण
01.	पेरवापाल रोकड़वही,
02.	सेकड़पाल रोकड़वही,
03	मांग व वसूली पंजी,
04	दैनिक संग्रह पंजी,
05.	वार्षिक लेखा, बजट, 2011-12,
06.	अनुदान व ऋण पंजी,
07.	सम्पति पंजी,
08.	अग्रीम पंजी,
09.	कर मूल्यांकन पंजी,
10.	योजना की संचिका अभिलेख,
11.	योजना पंजी,
12	बैंक पासबुक,
13.	सेवा पुस्तिका,
14.	म्युटेशन खाता,
15.	रसिद खाता,
16.	विकी माल प्रपत्र पंजी,
17.	ऋण एवं अनुदान विनियोग पंजी,

(हस्ताक्षर)
प्रधान सहायक

परिशिष्ट- III

"आय-व्यय विवरणी"

(प्रतिवेदन की कंडिका सं० 7 से संदर्भित)

01. खाता सं० - 0280610102 8600.

केनरा बैंक, जखिनारपुर

		2011-12
1. प्रा० अवशेष	→	1203054.00
2. प्राप्तियाँ		
(i) अनुदान		
(क) 12वाँ वित्त	→	998000.00
(ii) ब्याज	→	28429.00
(iii) अन्य	→	—
(iv) कुल प्राप्ति	→	1026429.00
3. कुल योग	→	2229483.00
4. व्यय		
(i) योजना मद		
(क) 12वाँ वित्त	→	854361.00
(ii) अन्य	→	396.00
(iii) कुल व्यय	→	854757.00
5. अंतशेष	→	1374726.00

बैंक खाता का शेष राशि 1374726.00

49
110

02. खाता संख्या - 6289378028599.

केनरा बैंक ऑफ इंडिया, बख्तियारपुर

	2011 - 12
01. प्रा० शेष	1791873.00
02. प्राप्तियाँ	
(i) अनुदान	
(क) BRGF	3482801.00
(ii) ब्याज	51017.00
(iii) अन्य	
(iv) कुल प्राप्ति	3533813.00
03. कुल योग	5325619.00 53,25,691.00
04. व्यय	
(i) योजना मद	
(क) BRGF	1626486.00
(ii) अन्य	
(iii) कुल व्यय	1626486.00
05. अंतशेष	3699205.00
बैंक खाता का शेष	3792464.00

50
(109)

03. खाता संख्या - 11398457219
भारतीय स्टेट बैंक, कादिरगंज / पाथियारपुर

	2011-12
01). प्रा० अवशेष	2025078.06
02). प्राप्तियाँ	
(i) अनुदान	
(क) BRGF	
(ख) 12वाँ वित्त	
(ग) जनगणना	294599.00
(ii) ब्याज	48542.00
(iii) अन्य	
(iv) कुल प्राप्ति	343141.00
03) कुल योग	2368219.00
04) व्यय	
(क) योजना मद	
(i) BRGF	1540464.00
(ii) 12वाँ वित्त	56640.00
(ख) जनगणना	294599.00
(ग) ब्याज	
(घ) बिक्रीकर	119778.00
(ङ) आयकर	85691.00
(च) चापाकल	128093.00
(छ) अन्य	221.00
(ज) कुल व्यय	2225486.00
05). अंतशेष	142733=00 437332.00

बैंक खाता का शेष 437332.00

परिशिष्ट

5/108

04. खाता संख्या - 11569

देना बैंक बरिआरपुर

	2011-2012
01) प्रा० अवशेष	1251134.00
02). प्राप्तियाँ	
(I) अनुदान	
(क) मैचिंग ग्रांट	
(ख) पार्षद भत्ता	1751000.00
(II) ब्याज	78000.00
(III) BOI से स्थानांतरित	36489.00
(IV) स्वयं स्रोत	2500000.00
(V) अन्य	1373682.00
(VI) कुल प्राप्ति	
03). कुल योग	5739171.00
04). व्यय	[6954305.85] 69,90,305=00
(I) योजना मद	
(क) BRGF	
(ख) 12 वॉ वित्त	808894.00
(ग) भवन निर्माण (निजी कोष)	325625.00
(घ) सड़क निर्माण (निजी कोष)	263620.00
(ङ) पी० सी० सी० "	412316.00
	441304.00
(च) चापाकल "	315357.00
(II) कबीर अंत्येष्टि	12000.00
(III) बिक्रीकर	49943.00
(IV) आयकर	162221.00
(V) अन्य	8051.50
(V) स्थापना व्यय	1668283.00
(VI) कुल व्यय	4467614.50
05) अंतशेष	[2486691.35] 25,22,690.50
बैंक खाता का शेष	2677125.00